फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

सं0– 1087 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2015–15एन0जी0/2001 दिनांक : 2 जुलाई 2015

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।

एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश संख्या: 37–मा0सं0प्र0–(02)/उ0नि0लि0/2015–15एन0जी0/2001, दिनांक 06.01.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0: 8/2015/सा–3–जी0आई0–11/दस–2015–301/2000 टी0सी0, दिनांक 08.06.2015 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2015 से बढ़ी हुई महंगाई राहत की 06(छः) प्रतिशत् की एक और किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.01.15 से 06(छः) प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 107(एक सौ सात) प्रतिशत की दर बढ़कर 113(एक सौ तेरह) प्रतिशत हो जायेगी।

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं0: 1054–डब्लू0सी0/राविप–औ0सं0–19–14(23)एफ–85, दिनांक 10.06.88 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त)/महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5. मंहगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगें।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः 2/–

संः 1087 –(1)–मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2015, तद्दिनांक : 2-7-015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव। ।
(2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / कासिमपुर(अलीगढ) / पनकी(कानपुर)।
(5) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई / तापीय परिचालन / (मा0सं0) / (ईंधन) / (सुरक्षा एवं पर्यावरण) / (जानपद) / (वाणिज्य) / (आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(6) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(7) महाप्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(10) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।
(11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(12) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(13) समस्त उप सचिव / अधिशासी अभियन्ता / अनु सचिव / अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(14) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन) / लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा) / (पेंशन) / वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ,उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(15) अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर आपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ।
(16) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(वी0पी0 कटियार)
उपमहाप्रबन्धक(मा0सं0–02)